कस्तूरी देवी बनाम सुल्तान व अन्य

मु.नं. 81/2022 वाद

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	[illegible]
	12/2/25	वकीलों ... आज कण्डोलेस / ... निर्धारित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 21/3/25 को पेश हो।	
	16/3/25	पीठासीन ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2/5/25 को पेश हो।	
	02/5/25	प. वादी उप. पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु आगामी दिनांक 19/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	
साक्ष्य नहीं करवाना चाहते 19/5/2025 (वादी ...)	19/5/25	प. वादी उप. वकील वादी साक्ष्य नहीं करवाने चाहते है अतः वादी साक्ष्य बन्द की जाती है बहस अंतिम सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है डिक्री जारी हो। विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खा० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :–81 / 2022

उनवान

1. बरजी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, उम्र 62 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
2. भंवरी देवी पत्नी बाबूलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
3. मोहरी देवी पत्नी मूलचन्द, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

–वादीयागण–

बनाम

1. सुल्तान पुत्र रामेश्वर, उम्र 45 वर्ष
2. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर, उम्र 48 वर्ष
3. कालूराम पुत्र नन्दाराम, उम्र 45 वर्ष
4. गोपाल लाल पुत्र नन्दाराम, उम्र 50 वर्ष
5. भागचन्द पुत्र नन्दाराम, उम्र 44 वर्ष
6. मदनलाल पुत्र नन्दाराम, उम्र 48 वर्ष
7. सुरेश कुमार पुत्र नन्दाराम, उम्र 38 वर्ष
8. सीताराम पुत्र नन्दाराम, उम्र 39 वर्ष
9. खेमाराम पुत्र रुडाराम, उम्र 60 वर्ष
10. पोखरमल पुत्र रुडाराम, उम्र 57 वर्ष
11. श्योलाराम पुत्र रुडाराम, उम्र 55 वर्ष
12. सहदेव पुत्र भेवचन्द, उम्र 45 वर्ष

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलगोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
13. मोहनी देवी पत्नी भेवचन्द, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलगोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
14. शिवपाल पुत्र भेवचन्द, उम्र 43 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलगोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

–प्रतिवादीगण–

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–19.05.2025

वादीयागण द्वारा वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीयागण वाके ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की रहने वाली काश्तकार पेशा महिला है, जो काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है। वादीयागण की खातेदारी भूमि नया खाता सं0 107 जिसके आराजी खसरा नं0 231 रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नांगलगोविन्द, पटवार हल्का किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि ही इस वाद पत्र में भूमि विवादग्रस्त है। उक्त भूमि विवादग्रस्त की एकमात्र तन्हा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादीयागण के नाम से दर्ज हैं, वादीयागण उक्त भूमि विवादग्रस्त पर बतौर एकमात्र मालिक व स्वामिनी काबिज होकर भूमि विवादग्रस्त का हर प्रकार से उपयोग–उपभोग कर फायदा उठाती चली आ रही हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों ओर पुख्ता तारबन्दी कर सीमायें महदूद कर रखी हैं तथा उक्त भूमि विवादग्रस्त में फसल उत्पादन कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती चली आ रही हैं तथा नियमित रुप से लगान सरकार में जमा करवाती आ रही हैं। वादीयागण की भूमि विवादग्रस्त के उत्तरी तरफ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 की खातेदारी भूमियां स्थित हैं, जिनके द्वारा आये दिन वादीयागण को हैरान व परेशान करने की गरज से भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोड़–फोड़ कर जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते हैं तथा आये दिन वादीयागण की तारबन्दी को तोड़कर उसमें जबरन प्रवेश कर वादीयागण की फसलों को नष्ट–भ्रष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं तथा साबिक नक्शे एवं हाल नक्शे में हुई त्रुटि का नाजायज फायदा उठाकर वादीयागण की भूमि विवादग्रस्त पर भू–माफियाओं से मिलीभगत कर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं, वादीयागण ने भूमि विवादग्रस्त के उत्तरी सींव की तरफ सीमा महदूद कर रखी है, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 के द्वारा वादीयागण की खातेदारी भूमि विवादग्रस्त में जबरन कब्जा करने की गरज से उत्तरी तरफ की सींवडोल को तोड़कर अपनी भूमि में मिलाकर कब्जा करने पर आमादा रहते हैं, जिसका की प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 को कतई कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इन्हीं कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 08.10.2022 को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 सभी एकराय होकर वादीयागण की भूमि विवादग्रस्त पर जबरन कब्जा करने की गरज से ट्रैक्टर लेकर आये तथा आते ही वादीयागण की भूमि के उत्तरी तरफ की सींवडोल को फोड़कर जबरन ट्रैक्टर से अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

करने लगे तथा ट्रैक्टर से अवैद्य रुप से प्रवेश कर जबरन बुवाई करने लगे। जब वादीयागण ने मौके पर आकर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 को ऐसा करने से मना किया तथा कहा कि उक्त भूमि हमारी एकमात्र तन्हा खातेदारी की भूमि है जिस पर तुम किसी प्रकार का अवैद्य कब्जा नहीं करें, जिस पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 नहीं माने तथा ऐलानियां धमकी देने लगे कि हम तो तुम्हारी उक्त खातेदारी भूमि को अपनी भूमि में मिलाकर जबरन कब्जा करेंगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तथा वादीयागण के साथ अभद्रता कर लड़ाई—झगड़ा करने पर उतारु हो गये। इस कारण वादीयागण को उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

वादीयागण द्वारा वादपत्र मय शपथ—पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे भूमि विवादग्रस्त में ना ही अनाधिकृत रुप से प्रवेश करें, ना ही जबरन कब्जा करें, ना ही अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास करें, ना ही वादीयागण की उत्तरी तरफ की सीमा की ओर सींवडोल में तोड़फोड़ करें, ना ही वादीयागण के शान्तिपूर्ण उपयोग—उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही वादीयागण के कब्जे में दखल कारित करें, ना ही प्रतिवादी सं0 15, प्रतिवादी सं0 1 ता 14 के उक्त अवैद्य कृत्य में किसी प्रकार का सहयोग करें, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीयागण उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादीयागण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीयागण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग—उपभोग के संबंध में किसी अन्य खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। लिहाजा वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीयागण का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम नांगलगोविन्द, पटवार हल्का किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के नया खाता सं0 107 के आराजी खसरा नं0 231 रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादीयागण की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादीयागण के उपयोग—उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—81 / 2022
उनवान—बरजी देवी वगै0 बनाम सुल्तान वगै0
निर्णय दिनांकः—19.05.2025

पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूं
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—81/2022
उनवान—बरजी देवी वगै0 बनाम सुल्तान वगै0
निर्णय दिनांकः—19.05.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

1. बरजी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, उम्र 62 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
2. भंवरी देवी पत्नी बाबूलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
3. मोहरी देवी पत्नी मूलचन्द, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

—वादीयागण—

बनाम

1. सुल्तान पुत्र रामेश्वर, उम्र 45 वर्ष
2. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर, उम्र 48 वर्ष
3. कालूराम पुत्र नन्दाराम, उम्र 45 वर्ष
4. गोपाल लाल पुत्र नन्दाराम, उम्र 50 वर्ष
5. भागचन्द पुत्र नन्दाराम, उम्र 44 वर्ष
6. मदनलाल पुत्र नन्दाराम, उम्र 48 वर्ष
7. सुरेश कुमार पुत्र नन्दाराम, उम्र 38 वर्ष
8. सीताराम पुत्र नन्दाराम, उम्र 39 वर्ष
9. खेमाराम पुत्र रुडाराम, उम्र 60 वर्ष
10. पोखरमल पुत्र रुडाराम, उम्र 57 वर्ष
11. श्योलाराम पुत्र रुडाराम, उम्र 55 वर्ष
12. सहदेव पुत्र भेवचन्द, उम्र 45 वर्ष

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलगोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
13. मोहनी देवी पत्नी भेवचन्द, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलगोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
14. शिवपाल पुत्र भेवचन्द, उम्र 43 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलगोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

—प्रतिवादीगण—

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—81 / 2022
उनवान—बरजी देवी वगै0 बनाम सुल्तान वगै0
निर्णय दिनांकः—19.05.2025

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :—81 / 2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कंई रूबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

विवादित भूमि वाके ग्राम नांगलगोविन्द, पटवार हल्का किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के नया खाता सं0 107 के आराजी खसरा नं0 231 रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादीयागण की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादीयागण के उपयोग—उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

निजी ....मबलिक .... ब्राबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.05.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत..........................
ओहदा..........................
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)